III/निग0/रीवा/भू-रा0/2017/2829

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा

5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 30/-

इन्द्र कुमार तिवारी तनय शिवदुलारे तिवारी, निवासी चोरगड़ी–189 तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0)

———आवेदक

बनाम

1– म0प्र0 राज्य

2– आदित्य प्रसाद तिवारी तनय स्व0 रामसिया तिवारी, निवासी चोरगड़ी–189 तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0)

———अनावेदकगण

अधि0श्री आविन्द पाण्डेय द्वारा पेश।
24.8.17

रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क0–276/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 10/07/17

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10/07/2017 सर्वथा विधि, विधान एवं सीमांकन प्रक्रिया के प्रावधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2– आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नं0–261 रकवा 4.14 ए0 स्थित चोरगड़ी–189 तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0) के वावत् सीमांकन हेतु आवेदन भू–अधीक्षक जिला अभिलेख जिला रीवा के न्यायालय में सीमांकन में दल गठित

10.106.245:8080/Appeal/PartA/appno ...

(55)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III/निग./17/2829 जिला– रीवा

इन्द्रकुमार तिवारी विरूद्ध शासन, आदित्य प्रताप तिवारी

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री अरविन्द पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसीलदार~~/ ~~राजस्व निरीक्षक~~, तहसील रायपुर कर्चु. के प्रकरण क्रमांक 276/अ12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 10-7-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	